सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-390/2022 **दिनांक- 25-नवम्बर-2022**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- देवगांव

चोरी की योजना बनाते हुए दो अपराधी गिरफ्तार; चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी करने वाले उपकरण बरामद।

दिनांक- 25.11.2022 को प्र0नि0 गजानन्द चौबे मय हमराह जिबली तिराहा पर मौजूद थे। वही पर व0उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह का0 सुरेश कुमार राजभर के साथ मिले। सूचना मिली कि चोरो का गैंग मोलनापुर ब्रिज के पास मौजूद है जो कही चोरी करने की योजना बना रहा है। उनके पास तमंचा भी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुँचे जहां पर पुलिया के नीचे मौजूद दोनो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे कि आज कस्बा देवगांव में एक बन्द घर में ताला तोडकर चोरी करना है। क्योकि इस समय उस घर में कोई नही रह रहा है। इत्मिनान हो जाने पर पुलिस वाले एक साथ पुल के नीचे उक्त व्यक्तियों को घेर मारकर मौके से ही पकड लिये। पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछने पर पहले ने अपना नाम श्रवण गोंड पुत्र जवाहरलाल गोंड ग्राम रोवा पोस्ट फरिहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व दूसरे ने अपना नाम मो0 साकिब पुत्र अलाउद्दीन ग्राम दौना जेहतमन्दपुर पोस्ट सरुपहाँ थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बताया। पकडे गये दोनो व्यक्तियो की जामा तलाशी ली गयी तो श्रवण गोंड उपरोक्त के पास से एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ व दूसरे व्यक्ति मो0 साकिब उपरोक्त के बाये हाथ में लिये गये झोले को चेक किया गया तो झोले में एक अदद पिलास, एक अदद हथौडी, एक अदद सरिया व एक अदद पेचकस बरामद हुआ। पकडे गये व्यक्तियो से मौके पर मौजूद मोटरसाइकिल के संबंध में पूछने पर दोनो बताये कि हम दोनो मिलकर इस गाडी को बरदह थाना क्षेत्र से चुरा लिये थे व आज इसी से चलकर देवगांव में चोरी करने की योजना बना रहे थे। अभियुक्त 1. श्रवण गोंड पुत्र जवाहरलाल गोंड ग्राम रोवा पोस्ट फरिहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, 2. मो0 साकिब पुत्र अलाउद्दीन ग्राम दौना जेहतमन्दपुर पोस्ट सरुपहाँ थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 03.10 बजे में हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 456/2022 धारा 401,411 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 457/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना देवगांव, आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

01अदद नाजायज तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर,

01 अदद पेंचकस, 01 अदद पिलास, 01 अदद हथौड़ी, 01 अदद सरिया, एक चोरी की मोटर साइकिल

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. श्रवण गोंड पुत्र जवाहरलाल गोंड ग्राम रोवा पोस्ट फरिहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. मो0 साकिब पुत्र अलाउद्दीन ग्राम दौना जेहतमन्दपुर पोस्ट सरुपहाँ थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 गजानन्द चौबे व0उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे थाना देवगाँव आजमगढ़
2. हे0का0 ओमप्रकाश सिंह हे0का0 संजय कुमार दूबे हे0का0 तनवीर असलम म0का0 सुषमा यादव का0 सुरेश कुमार राजभर थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना– दिनाक 30.09.2022 को मुबारकपुर क्षेत्रांतर्गत पीड़िता उम्र 16 वर्ष द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि पीडिता को अभियुक्त राकेश यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी ग्राम मिरिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ बलात्कार करना एवं पीड़िता का विडियो वायरल पीड़िता द्वारा मना करने पर मारना पीटना व गाली गुप्ता देदिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 308/2022 धारा 376/323/504 भादवि व धारा 67 आई0टी0 एक्ट व धारा 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत है जिसमे अभियुक्त राकेश कुमार यादव पुत्र रामअवध यादव उपरोक्त वांछित अभियुक्त है। उक्त अभियोग की विवेचना निरीक्षक अपराध राकेश कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

2. गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक- 25.11.2022 को अपराध निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी ग्राम मिरिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को मलिक सूदनी तिराहे से समय करीब 12.40 बजे दिन मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

राकेश यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी ग्राम मिरिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 308/2022 धारा 376/323/504 भादवि व धारा 67 आई0टी0 एक्ट व धारा 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

अपराध निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमढ़

थाना कन्धरापुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- वादी मुकदमा श्री राम प्रवेश पुत्र स्व0 सुन्दर प्रसाद निवासी ग्राम बढ़या फुलवरिया थाना भलुवनी जनपद देवरिया हाल पूर्ति निरीक्षक बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा उ0प्र0 आवश्यक वस्तु वितरण (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 मे दिये गये प्राविधानो एवं अनुबन्ध पत्र के शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में मु0अ0स0 26/2022 धारा 3/7 आवश्यक बस्तु अधि0 1955 विरूद्ध कोटेदार जगदीश जैसवार उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत—गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 20.01.2022 को पंजीकृत कराया गया था।

दि0 25.11.2022 को उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **प्रकाश में आये अभियुक्त** सतीश चन्द्र उर्फ साधु पुत्र स्व0 दरशु निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर आजमगढ़ को अभियुक्त के घर पर दविश दिया गया अभियुक्त घर के दरवाजे पर मौजूद मिला नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सतीशचन्द्र उर्फ साधु पुत्र स्व0 दरशू निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र 46 वर्ष बताया। अभियुक्त उपरोक्त को अभियोग उपरोक्त मे वाछिंत अभियुक्त बताकर समय 08.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिफ्तार अभियुक्त

(प्रकाश में आये) सतीश चन्द्र उर्फ साधु पुत्र स्व0 दरशु निवासी गढनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र 46 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 26/2022 धारा 419/420/467/468/471 भादवि 3/7 EC ACT थाना कन्धरापुर आजमगढ (बढोत्तरी धारा धारा 419/420/467/468/471 भादवि)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामप्रसाद यादव का0 अमित कुमार पटेल थाना कन्धरापुर आजमगढ

थाना सिधारी

मोटरसाइकिल का नम्बर प्लेट बदलकर धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.11.2022 को उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराहियान द्वारा ग्राम भदुली पेट्रोल पम्प से 100 मीटर आगे निजामाबाद रोड के पास से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ समय 23.05 बजे गिरफ्तार किया गया । जिसके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 431/2022 धारा 411,414,419,420 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मोटरसाइकिल मेरे गांव का ही विमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव निवासी पल्हनी थाना सिधारी आजमगढ़ बेचने के लिये दिया था ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 431/2022 धारा 411,414,419,420 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

मुकदमा उपरोक्त ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- प्रवेश यादव पुत्र स्व0 लालचन्द्र यादव निवासी पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी

एक अदद ग्लैमर जिसका इंजन नं0 J006ELDGL00927 तथा चेसिस नं0 MBLJA06AKDGL01108

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- फूलपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 24.11.2022 को उ0नि0 श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह अम्बारी चौराहा पर मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति अम्बारी रेलवे फाटक की तरफ से शराब लेने के लिए देशी शराब ठेका पैदल आ रहा है उसके पास नाजायज तमन्चा है जिसे वह रेलवे फाटक के पास निकालकर किसी को दिखा रहा था वह किसी घटना को अन्जाम देने के लिए जा रहा है , इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँचकर देशी शराब ठेका के सामने सडक पर ही एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया जिसने अपना नाम मनोरथ बिन्द पुत्र बलराम बिन्द निवासी सरैया खुर्द थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को समय 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से **एक अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर** मुअ0सं0 377/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

सम्बन्धित मुकदमा - मुअ0सं0 377/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1 . मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनोरथ बिन्द पुत्र बलराम बिन्द निवासी सरैया खुर्द थाना फूलपुर जिला आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़ ।

थाना- मेंहनगर

पीसीआर पर आये अभियुक्त के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त असलहा व कारतूस व अन्य सामान बरामद

1. **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादिनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने सूचना दिया कि मेरे पति दिनांक 6.7.2022 को वशिष्ठ चौहान पुत्र इन्द्रजीत चौहान निवासी ग्राम- देवईत थाना मेंहनगर के साथ अपनी गाड़ी UP 50 AV 1945 वैगनार से आवश्यक काम से सुबह 8 बजे इलाहाबाद के लिए घर से निकले थे। मेरे पति ने अपने मोबाइल नं0 6287584785 व 6392766682 तथा वशिष्ठ चौहान के मो0नं0 9170109366 से फोन के हमें बताया कि हम लोगो को कुछ बदमाश किस्म के लोगो ने अपहरण कर लिया है। प्रति व्यक्ति को छोड़ने के लिए 5 लाख के फिरौती माँगी जा रही है के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 219/22 धारा 364A भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।**

गिरफ्तारी की विवरण – दिनांक-25.11.2022 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल के द्वारा अभियोग उपरोक्त की विवेचना सम्पादित करते हुए अभियुक्त 1.विकास पटेल पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम सेमरा वीरभानपुर थाना मऊ आइमा जनपद प्रयागराज 2.अनिकेत पटेल पुत्र स्व0 रामनेवाज ग्राम बाराडीह थाना मऊ आईमा जनपद प्रयागराज 3.अविनाश कुमार पटेल पुत्र मान सिह पटेल ग्राम भगवतीपुर उर्फ खुटहना थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज 4.राज सिह वर्मा उर्फ राज पटेल पुत्र कृष्णचन्द पटेल निवासी कलुआपुर (हरिसेनगंज बाजार) थाना सोराव जनपद प्रयागराज 5.मीना देवी पत्नी रामसूरत पटेल सा0 काशीपुर थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्ता मीना देवी उपरोक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस की अनवरत दबिश व भारी पुलिस बल के दबाव के पश्चात अन्य अभियुक्त द्वारा मा0 न्याया0 में आत्मसमर्पण कर लिया गया। जिन्हे पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशा देही पर आज घटना में प्रयुक्त असलहा व कारतूस तथा अन्य सामान बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 219/22 धारा 364A भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.विकास पटेल पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम सेमरा वीरभानपुर थाना मऊ आइमा जनपद प्रयागराज,

2.अविनाश कुमार पटेल पुत्र मान सिह पटेल ग्राम भगवतीपुर उर्फ खुटहना थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज

3.राज सिह वर्मा उर्फ राज पटेल पुत्र कृष्णचन्द पटेल निवासी कलुआपुर (हरिसेनगंज बाजार) थाना सोराव जनपद प्रयागराजआजमगढ़

बरामदगी – एक अदद तंमचा .315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर व पीड़ित का आधार कार्ड व वोटर आई0डी0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- SO बसन्त लाल मय उ0नि कन्हैया लाल मौर्य मय हमराह थाना मेंहनगर आजमगढ़ ।